आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 192/2011** **बाबूलाल बेदिया बनाम् मसो0 लक्ष्मणी देवी** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद एस0 ए0 आर0 अपील–15 R15/1999–2000 में उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। विशेष विनियमन पदाधिंकारी तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा मौजा–हलमाद, खाता नम्बर–84, प्लॉट नम्बर–934, 2203, 2186, 2187, 2188 एवं 2126 कुल रकबा–2.07 एकड़ भूमि वापसी के दावे को खारिज किया गया है। प्रश्नगत् वाद में विलम्ब को क्षान्त करते हुये सुनवाई हेतु दिनांक–14.12.2020 को स्वीकृति दी गयी। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदक लगातार अनुपस्थित है। आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–17.02.2022, 03.03.2022, 10.03.2022 को अंतिम मौका दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई पैरवी नहीं की गयी। विपक्षी नियमित रूप से उपस्थित रहे। दिनांक–10.03.2022 को विपक्षी को सुना गया तथा उभयपक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु पुनः एक मौका दिया गया। मात्र विपक्षी के तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर इस वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। मूल आवेदक के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र खेदुआ बेदिया एवं अन्य को प्रतिस्थापित किया गया था। प्रश्नगत् वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा मात्र आवेदकों के अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के बिन्दु पर भूमि वापसी के आवेदन खारिज किये गये है। प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण वर्ष–1937 से लेकर 1949 तक विभिन्न निबंधित केवाला के द्वारा किया गया है। विचारणीय बिन्दु यह है कि बेदिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में वर्ष–1956 के अधिसूचना द्वारा सम्मिलित किया गया। उक्त तिथि के पूर्व यह अनुसूचित जाति के श्रेणी में नहीं था। इस प्रकार भूमि का हस्तांतरण करते समय आवेदकों के पूर्वज अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में नहीं थे, तथा भूमि हस्तांतरण पर कास्तकारी अधिनियम के	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रावधान लागू नहीं होते थे। बेदिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय अधिसूचना की तिथि से लागू किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण निबंधित केवाला के द्वारा वर्ष–1943, 1947 एवं 1949 में किया गया है। स्पष्टतः अनुसूचित जनजातियों के लिये उपलब्ध भूमि वापसी के प्रावधान आवेदकों के उपर लागू नहीं किये जा सकते है। यह भी विचारणीय है कि भूमि वापसी का दावा वर्ष–1996–97 में किया गया है, जबकि भूमि का हस्तांतरण 50 वर्ष पूर्व निबंधित केवाला से हो चुका है। वर्णित परिस्थिति में ऐसा कोई तथ्य इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है, जिससे कि निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। आवेदकों के द्वारा 1947 एवं 1949 में किये गये निबंधित बिक्री पत्रों को फर्जी करार दिया गया है किन्तु मात्र उनके कहने से प्रश्नगत् निबंधित विक्रय पत्रों की वैधानिकता समाप्त नहीं होती है। भूमि के हस्तांतरण के समय आवेदक के पूर्वज आदिवासी श्रेणी में नहीं थे, इस विषय पर आवेदक के द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28/7/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

28/7/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 16:26:56 +05:30
Location: 192.168.1.40